

बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का प्रारूप

निर्देश-अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के निम्न प्रारूप को संस्था के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री इस संस्था में दिनांक से
अध्यापक/अध्यापिका के रूप में निरन्तर कार्यरत हैं। यह संस्था राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा
..... प्रदेश में स्थित है। इनके द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के
बी0एड0 (ODL) कार्यक्रम में प्रवेश पर संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रतिहस्ताक्षरी का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर)

संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर एवं
नाम तथा संस्था की मुहर

नोट-

- उपरोक्त प्रमाण पत्रों के प्रतिहस्ताक्षर हेतु सक्षम अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी आदि है। प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा ही प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए।
- अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अध्यापन की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अध्यापन की स्थिति में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तथा अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाओं में अध्यापन की स्थिति में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- CBSE या ICSE से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापन की स्थिति में उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षर करने की स्थिति में संस्था के मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति भी साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।